PD

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम न. 2015/00399
मुकदमा नम्बर 284/2015

दायर दिनांक–22.12.2015

पुरूषोत्तम पुत्र स्व. जयनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बाय,तहसील नवलगढ़

– वादीगण

बनाम

1. बिदामी पत्नी केशरदेव (फौत नाम हजफ आदेश दिनांक 18.07.2018)
2. पवन पुत्र केशरदेव
3. शंकर पुत्र केशरदेव
4. प्रदीप पुत्र केशरदेव
5. राधादेवी पत्नी हीरालाल (वाद पत्र से नाम हजफ)
6. महेश पुत्र हीरालाल (मृतक)
   - 6/1 उषा देवी पत्नी महेश
   - 6/2 नवीन पुत्र महेश
   - 6/3 प्रवीण पुत्र महेश
7. विकास पुत्र हीरालाल
8. संगीता पुत्री हीरालाल
9. विधादेवी पत्नी लादू उर्फ राधेश्याम
10. सुरेश पुत्र लादू उर्फ राधेश्याम
11. विनोद पुत्र लादू उर्फ राधेश्याम
12. राजेश पुत्र लादू उर्फ राधेश्याम
13. सुनिता पुत्री लादू उर्फ राधेश्याम
14. बिमला पत्नी बसेसर
15. गोपल पुत्र बसेसर
16. राजू पुत्र बसेसर
17. संजय पुत्र बसेसर
18. संदीप पुत्र बसेसर
19. मधु पुत्री बसेसर
20. उषा पुत्री बसेसर
21. सत्यनारायण पुत्र जयनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बाय तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू (मृतक)
    - 21/1 पूनम पत्नी सत्यनारायण
    - 21/2 संरोज पुत्री सत्यनारायण

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

PD

21/3 विजय कुमार पुत्र सत्यनारायण
21/4 राजेश पुत्र सत्यनारायण
21/5 रेखा पुत्री सत्यनारायण
21/6 अनिता पुत्री सत्यनारायण
21/7 नीतू पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बाय तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
22. रोहित कुमार पुत्र नागरमल जाति कुमावत निवासी ग्राम बाय तहसील नवलगढ
23. भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री चन्द्रकान्त शर्मा
वकील प्रतिवादीः 1 लगा. 6,8,23 – एक पक्षीय
वकील प्रतिवादी सं. 6/1 लगा. 6/3,21/1 लगा. 21/7– श्री सुमित रूथला
वकील प्रतिवादी सं. 7,9 लगा. 20,22– श्री विधाधर सिंह जाखड़

दावा धोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन, स्थाई निषेधज्ञा व शून्य करवाने व बेसअसर करने विकय पत्र दिनांक 01.10.2015 तीनो व निरस्त करने नामान्तकरण सं. 1318,1319,1320

:: निर्णय :: दिनांक – 16.06.2025

वाद वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि, ग्राम बाय तहसील नवलगढ की तन में भूमि खसरा नं. पुराने 257 रकबा 5 बीघा 11 विश्वा, खसरा नं. 338 रकबा 2 बीधा 10 विश्वा , खसरा नं. 286 रकबा 10 बीघा 13 विश्वा स्थित है, जिसके वर्तमान खसरा नं. 378 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 381 रकबा 0.59 है0, खसरा नं. 211/380 रकबा 0.35 है0, खसरा नं. 542 रकबा 0.64 है0, खसरा नं. 413 रकबा 2.69 है0 स्थित है।, जो वभूमि के वर्तमान नम्बर है। पुराने खसरा नं. 257 के वर्तमान नम्बर 378,381, व 1211/380 है तथा खसरा नं. 338 के वर्तमान नम्बर 542 है तथा खसरा नं. 286 के वर्तमान नम्बर 413 है, जिसे इस वाद में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है,विवादित भूमि व प्रतिवादी नं. 21 की पैतृक शामलाती अविभाजित सम्पति है, जिसकी जिसकी खातेदारी पहले जयनारायण पुत्र बालू ब्राहमण के नाम दर्ज थी, वादी व प्रतिवादी नं. 21 स्व. जयनारायण के वारिस है। यह है कि विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब से इस भूमि के खातेदार काश्तकार जयनारायण था तथा खसरा नं. 257,338,386 का राजस्व रिकार्ड भी जयनारायण के नाम से ही चला आ रहा था। इस प्राकर इस विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार जयनारायण था, जयनारायण की फौत के होने पर जयनारायण के विधक वारिसान 7 लडके केशरदेव, हीरालाल,लादू उर्फ राधेश्याम, बसेसर, रूघनाथ, सत्यनारायण व पुरूषोतम हुये, जिनमे से रूघनाथ नाऔलाद फौत हो गया। इस प्रकार से विवादित भूमि के खातेदार जयनारायण के 6 वारिस हुये, जिनका इस भूमि में प्रत्येक का 1/6–1/6 हक व हिस्सा है, इसी अनुसार काश्त काबिज है, विवादित भूमि में 1/6 हिस्सा वादी का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 का , 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं. 5 लगायत 8 का ,1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं. 9 लगा. 13, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 14 लगा. 20 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं. 21 का है, इसी अनुसार कब्जा काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

PD

जयनारायण की मृत्यु पर विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड जयनारायण के वारिसानों के नाम दर्ज होना चाहिए था। परन्तु राजस्व अधिकारियें ने गलत तरिके से राजस्व रिकार्ड गलत बना दिया, बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के खसरा नं. 257 का रिकार्ड केशू,हीरा,लादू व सत्यनारायण के नाम से बना दिया तथा खसरा नं. 286 का रिकार्ड केशरदेव,लादूराम,रघुनाथ, बसेसर,सत्यनारायण व पुरूषोत्तम के नाम से गलत रिकार्ड बना दिया, जबकि जयनारायण की मृत्यु पर उसके सातों वारिसानों के नाम से रिकार्ड बनाना चाहिए था। इस प्रकार गलत रिकार्ड बना जबकी वादी 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 का , 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं. 5 लगायत 8 का ,1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं. 9 लगा. 13, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 14 लगा. 20 का तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं. 21 का है। इसलिये वादी को इस विवादित भूमि में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

इस भूमि का राजस्व रिकार्ड राजस्व काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब जयनारायण के नाम से दर्ज था, जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 तथा 2019 से 2022 में दर्ज था, उसक बाद जयनारायण की मृत्यु पर इस भूमि का रिकार्ड सके सातो वारिसानो के नाम दर्ज होना चाहिए था। राजस्व अधिकारियों जयनारायण के सभी वारिसानों के नाम रिकार्ड दर्ज नही कर कुछ वारिसानों का नाम रिकार्ड में दर्ज किया है, जो गलत किया है।जयनारायण का एक पुत्र रघुनाथ नाऔलाद फौत हो गया, इसलिये खसरा नं. पुराने 257,338,286 वर्तमान नम्बर 378,381,1211/380,542,413 के राजस्व रिकार्ड में जयनारायण के 6 पुत्रो का बराबर–बराबर 1/6– 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था यानि इस विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में 1/6 हिस्से की भूमि के वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, 1/6,1/6 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नं. 1 लगा. 4 के नाम दर्ज होनी चाहिए , 1/6 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नं. 5 लगा. 8 तथा 1/6 हिससे की भूमि 9 लगा. 13 तथा 1/6 हिस्से की भूमि 14 लगा. 20 तथा 1/6 हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 21 के नाम दर्ज होनी चाहिए थी।

राजस्व अधिकारियों ने गलत तरिके से राजस्व रिकार्ड बना दिया यानि 1 खसरा नं. में जयनारायण के चार वारिसों का नाम दर्ज कर दिया व दूसरे खसरा नं. में जयनारायण के 2 वारिसानों का नाम दर्ज कर दिया तथा तीसरे खसरा नं. की जमीन मे जयनारायण के 6 वारिसानों का नाम दर्ज कर दिया । इस प्रकार किसी भी जमीन में जयनाराण के सातों वारिसों का नाम दर्ज नही किया है।

इस गलत राजस्व रिकार्ड के चलते प्रतिवादी सं. 5 लगायत 8 ने प्रतिवादी सं. 22 के नाम से एक विक्रय पत्र दिनांक 01.10.2015 का तस्दीक करवा दिया तथा प्रतिवादी नं. 14 लगा. 20 ने गलत रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादी नं. 22 को दिनांक 01.10.2015 को विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया तथा प्रतिवादी नं. 9 लगा. 13 ने गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादी नं. 22 को दिनांक 01.10.2015 को विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया । उक्त तीनो विक्रय पत्र गलत रिकार्ड के आधार पर बनाये गये है तथा अपने हिस्से व काश्त से अधिक जमीन के बनाये गये है, जो वादी के अधिकारों पर शून्य व बेअसर है, इन शून्य व बेअसर विक्रय पत्रों से प्रतिवादी नं. 22 को कोई हक व अधिकार पैदा नही होते है।,इस प्रकार प्रतिवादी नं. 5 लगा. 8 , 9 लगा 13, 14 लगा. 20 द्वारा दिनांक 01.10.2015 को तस्दीक करवाये गये विक्रय पत्र गलत रिकार्ड के आधार पर बनाये जाने के कारण शून्य व बेअसर है। इसलिये इन विक्रय पत्रों को शून्य व बेअसर घोषित फरमाया जावे।ऐसी हालत में वादी के लिये यह दावा बाबत् शून्य व बेअसर करने विक्रय पत्रों का का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त विक्रय पत्रों के आधारा पर नमान्तकरण सं. 1318,1319,1320 तस्दीक हुये, उक्त नामान्तकरण गलत भरे गये है, जो गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर गलत विक्रय पत्रों के आधार पर तस्दीक हुये है, इसलिये इन नामान्तकरण को निरस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डबलगढ़

PD

प्रतिवादी सं. 1 लगायत 22 उक्त गलत रिकार्ड के आधार पर वादी को बेदखल कर सकते है। इसलिये प्रतिवादी नं. 1 लगा. 22 को इस आशय की स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जावे कि, गलत राजसव रिकार्ड व गलत विक्रय पत्रों के आधार पर वादी को बेदखल नही करे, वादी के 1/6 हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा नही डाले, वादी के कब्जे काश्त मे बाधा नही डाले, इसलिये वादी के लिये यह दावा स्थाई निषेधज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रकरण में वादाधिकार कब्जा करने व घमकी देने के रोज से उत्पन्न हुआ।

इसलिये ग्राम बाय तहसील नवलगढ की तन में भूमि खसरा नं. पुराने 257 रकबा 5 बीघा, 11 विश्वा, खसरा नं. 338 रकबा 2 बीधा 10 विश्वा , खसरा नं. 286 रकबा 10 बीघा 13 विश्वा स्थित है, जिसके वर्तमान खसरा नं. 378 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 381 रकबा 0.59 है0, खसरा नं. 211/380 रकबा 0.35 है0, खसरा नं. 542 रकबा 0.64 है0, खसरा नं. 413 रकबा 2.69 है0 भूमि वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार, प्रतिवादी नं. 1 लगा. 4 को 1/6 हिससे का खातेदार काश्तकार, प्रतिवादी नं. 5 लगा. 8 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार, प्रतिवादी सं. 09 लगा. 13 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार, प्रतिवादी सं. 14 लगा. 20 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादी सं. 21 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। वादी के 1/6 हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 22 को इस आश्य की स्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त विक्रय पत्रों व गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर वादी को उसके हिस्से से बेदखल नही करें।वादी के 1/6 हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग मे बाधा नही डाले , वादी के कब्जे काश्त मे बाधा नही डाले, उक्त कृत्य ना करे। गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर दिंनांक 01.10.2015 को बनाये गये उक्त तीनो विक्रय पत्रों वादी के अधिकारों पर शून्य व बेअसर घोषित किया जावे। इसी प्रकार से उक्त गलत विक्रय पत्रों के आधार पर भरे गये नामान्तकरण सं. 1318,1319,1320 को निरस्त किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 6,8,23 बावजूद समयक तामील अनुपस्थित रहने पर इस इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 7,9,10,11,12,13 तथा प्रतिवादी सं. 22 की और से जरिये वकील जवाब दावा निम्न प्रकार से पेश किया गया:-

उक्त भूमि का विभाजन रा.का.अधि. प्रभाव में आया उसके पूर्व ही हो गया था, और सभी भाई अलग-अलग काबज व कास्तकार थे और उसी अनुसार खातेदार दर्ज की गई है। खसरा नं. 257 रकबा 5 बीघा 11 विश्वा केशु,हिरा,लादु, सत्यनारायण के हिस्से मे आई थी, व खसरा नं. 338 रकबा 2 बीघा 11 विश्वा केशरदेव व हिरा के हिस्से मे आई थी, खसरा नं. 286 रकबा 10 बीघा 13 विश्वा, केशरदेव,लादु,बसेसर, सत्यनारायण व पुरूषोत्तम के हिससे मे आई थी, रघुनाथ भी इनका भाई था, जो नाऔलाद फौत हो गया। इस प्रकार अलग-अलग खसरा नं. पर खातेदारी प्राप्त हुई। वादी को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है। इसलिये वाद वादी खारिज होने लायक है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को केवल सिविल न्यायालय मे चुनौति दी जा सकती है। वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है इसलिये वाद वादी खारिज योगय है। राजस्व रिकार्ड 50 वर्षो से अधिक का बना हुआ है जिसे आज तक किसी ने चुनौति नही दी है। इस प्रकार दावा असाधारण मियाद बहार पेश किया है इसलिये खारिज योग्य है।

प्रतिवादी सं. 21 व 06 के कायम मुकाम की और से वकील सुमीत रूथला उपस्थित हो जवाब पेश नही करना चाहते है। इसलिये इस प्रकरण में इनका जवाब बन्द किया जाता है। प्रकरण के इस स्तर पर वकील वादी ने एक राजीनामा प्रा. पत्र पेश किया गया प्रतिवादी सं. 22 की और से वकील श्री विद्याधर सिह

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

PD

जाखड उपस्थित , वादी के मुख्त्यार संत कुमार स्वंय उपस्थित। उनकी उपस्थिति उनके वकील श्री श्याम सुन्दर सैनी द्वारा तस्दीक की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में केवल घोषणा व स्थाई निषेधज्ञा की रिलिफ स्वीकार किये जाने का निवेदन वादी पक्ष द्वारा किया गया। प्रकरण में वादी व प्रतिवादी सं. 22 मे राजीनामा पेश हुआ है।

बहस राजीनामा पेश होने पर बगौर सुनी गई। वादी पक्ष द्वारा दौराने बहस वाद पत्र से विभाजन की रिलिफ हटाये जाने का निवेदन किया तथा वाद घोषणार्थ व स्थाई निषेधज्ञा की ही रिलिफ चाही है।

द्वौराने बहस वकील वादी द्वारा कथन किया कि, प्रतिवादी सं. 22 रोहित को को प्रतिवादी सं. 09 लगा.13, प्रतिवादी सं. 14 लगा. 20 व प्रतिवादी सं. 5 ,6/1 लगा. 6/3 ने कुल 2.0960 है0 भूमि निम्न प्रकार से विक्रय की है।

खसरा नं.	रकबा	प्रतिवादी सं 9 से 13 द्वारा विक्रय की गई (राधेश्याम द्वारा विक्रय)	प्रतिवादी नं. 14 से 20 द्वारा विक्रय की गई (बसेसर द्वारा विक्रय)	प्रतिवादी नं. 5, 6/1 से 6/3 द्वारा विक्रय की गई (हिरालाल द्वारा विक्रय)
413	2.6900	0.5380	0.5380	—
542	0.6400	—	—	0.3200
378,381,1211/380	1.4000	0.3500	—	0.3500
योगः—	4.7300	0.8880	0.5380	0.6700
		कुल भूमि रोहित को विक्रय की गई— 2.0960 है0		

इस प्रकार से कुल भूमि रकबा 4.7300 है0 में से राधेश्याम, बसेसर, हिरालाल द्वारा प्रतिवादी सं. 22 रोहित को 2.0960 है0 भूमि विक्रय की है। विक्रय करने के पश्चात् 2.634 है0 भूमि शेष बचती है। चूंकी राधेश्याम द्वारा 0.8880 है0 भूमि (उसके हिस्से की भूमि 0.7883 से अधिक) भूमि विक्रय की है, इसलिये शेष भूमि मे उसका कोई हिस्सा शेष नही रहा है। इस प्रकार से हीरालाल ने भी अपने हिस्से मे से 0.67 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 22 रोहित को विक्रय की है तथा बसेसर ने भी अपने हिस्से मे से 0.5380 है0 भूमि प्रतिवादी सं. 22 रोहित को विक्रय की है। शेष रही 2.634 है0 भूमि मे शेष 5 भाईयों को हिस्सा निम्न प्रकार से रहा है :—

	केशरदेव प्रतिवादी सं. 2 लगा. 4	हीरालाल प्रतिवादी सं. 5, 6/1 से 6/3	राधेश्याम प्रतिवादी सं. 9 लगा 13	बसेसर प्रतिवादी सं. 14 लगा. 20	सत्यनारायण प्रतिवादी सं. 21/1 से 21/7	वादी पुरूषोतम	प्रतिवादी सं. 22 रोहित (क्रेता)
भूमि हिस्से मे आती है	0.7684	0.7684	—	0.7684	0.7684	0.7684	—
अपने हिस्से मे से भूमि विक्रय कर दी है।	—	0.67	—	0.5380	—	—	—
प्रत्येक के हिस्से मे विक्रय के उपरान्त शेष भूमि	0.7684	0.0984	—	0.2304	0.7684	0.7684	2.0960

उपखण्ड अधिकारी
मवलमद

PD

आदेश

अतः ग्राम बाय तहसील नवलगढ की तन में भूमि खसरा नं. 413 रकबा 2.69है0, खसरा नं. 542 रकबा 0.64 है0, खसरा नं. 378,381,1211/380 रकबा 1.40 है0 कुल रकबा 4.7300 है0 मे निम्नप्रकार से वादी एंव प्रतिवादीगण की खातेदारी मे घोषित की जाती है:—

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	केशरदेव प्रतिवादी सं. 2 लगा. 4	हीरालाल प्रतिवादी सं. 6/1 से 6/3	राधेश्याम प्रतिवादी सं. 9 लगा 13	बसेसर प्रतिवादी सं. 14 लगा. 20	सत्यनारायण प्रतिवादी सं. 21/1 से 21/7	वादी पुरूषोतम	प्रतिवाद सं. 22 रोहित (केता)
508	413	2.6900	0.5380	—	—	—	0.5380	0.5380	1.0760
587	542	0.6400	0.0896	—	—	—	—	0.2304	0.3200
314	378,381,1211/380	1.4000	0.1408	0.0984	—	0.2304	0.2304	—	0.700
	योग:—	4.7300	0.7684	0.0984	—	0.2304	0.7684	0.7684	2.0960

चूंकी राधेश्याम द्वारा 0.8880 है0 भूमि (उसके हिस्से की भूमि 0.7883 से अधिक) भूमि विक्रय की है, इसलिये शेष भूमि मे उसका कोई हिस्सा शेष नही रह जाता है। अतः उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड से उसका नाम हटाया जाता है। इस प्रकार से केशरदेव के वारिसान प्रतिवादी सं. 2 लगा. 4 को उक्त विवादित भूमि में (0.7684) 0.7684 है0, हीरालाल के वारिसान प्रतिवादी सं. 6/1 से 6/3 को 0.0984 है0, बसेसर के वारिसान प्रतिवादी सं. 14 लगा. 20 को 0.2304 है0, सत्यनारायण के वारिसान प्रतिवादी सं. 21/1 से 21/7 को 0.7684 है0, वादी पुरूषोतम को 0.7684 है0 तथा प्रतिवादी सं. 22 रोहित (केता) को 2.0960 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद वादी उक्तानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है।

तहसीलदार नवलगढ को तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती व अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना के लिये पृथक से तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला—झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

PD

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2015/00399

मुकदमा नम्बर 284/2015 दायर दिनांक–22.12.2015

(पुरूषोत्तम बनाम बिदामी वगै0)

दावा धोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन, स्थाई निषेधज्ञा व शून्य करवाने व बेसअसर करने विक्रय पत्र दिनांक 01.10.2015 तीनो व निरस्त करने नामान्तकरण सं. 1318,1319,1320

(डिक्री)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है । ग्राम बाय तहसील नवलगढ की तन में भूमि खसरा नं. 413 रकबा 2.69है0, खसरा नं. 542 रकबा 0.64 है0, खसरा नं. 378,381,1211/380 रकबा 1.40 है0 कुल रकबा 4.7300 है0 मे निम्नप्रकार से वादी एंव प्रतिवादीगण की खातेदारी मे घोषित की जाती है:–

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	केशरदेव प्रतिवादी सं. 2 लगा. 4	हीरालाल प्रतिवादी सं. 6/1 से 6/3	राधेश्याम प्रतिवादी सं. 9 लगा 13	बसेसर प्रतिवादी सं. 14 लगा. 20	सत्यनारायण प्रतिवादी सं. 21/1 से 21/7	वादी पुरूषोतम	प्रतिवादसं. 22 रोहित (केता)
508	413	2.6900	0.5380	—	—	—	0.5380	0.5380	1.0760
587	542	0.6400	0.0896	—	—	—	—	0.2304	0.3200
314	378,381, 1211/380	1.4000	0.1408	0.0984	—	0.2304	0.2304	—	0.700
	योग:–	4.7300	0.7684	0.0984	—	0.2304	0.7684	0.7684	2.0960

चूंकी राधेश्याम द्वारा 0.8880 है0 भूमि (उसके हिस्से की भूमि 0.7883 से अधिक) भूमि विक्रय की है, इसलिये शेष भूमि मे उसका कोई हिस्सा शेष नही रह जाता है। अतः उक्त विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड से उसका नाम हटाया जाता है। इस प्रकार से केशरदेव के वारिसान प्रतिवादी सं. 2 लगा. 4 को उक्त विवादित भूमि में 0.7684 (0.7684) हीरालाल के वारिसान प्रतिवादी सं. 6/1 से 6/3 को 0.0984 है0, बसेसर के वारिसान प्रतिवादी सं. 14 लगा. 20 को 0.2304 है0, सत्यनारायण के वारिसान प्रतिवादी सं. 21/1 से 21/7 को 0.7684 है0, वादी पुरूषोतम को 0.7684 है0 तथा प्रतिवादी सं. 22 रोहित (केता) को 2.0960 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद वादी उक्तानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है।

तहसीलदार नवलगढ को तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती व अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना के लिये पृथक से तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

PD

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। जन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 16 माह 06 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	10.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	—	स्टाम्प अर्जी	—
महनताना वकील	—	महनताना वकील	—
खर्चा गवाहान	—	खर्चा गवाहान	—
फीस कमिश्नर	—	फीस कमिश्नर	—
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	बाबत इजराय हुक्मनामा	—
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00